



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(ए)169/पार्ट-1/संस्था/बीमा/2021/

दिनांक : 03-09-2021

आदेश 325

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के श्री शम्भू दयाल महावर, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 14.05.2021 को निधन हो जाने पर उनके आश्रित पुत्र श्री आशुतोष महावर को विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(2)डीओपी/क-2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तों पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाती है।

श्री आशुतोष महावर को विभागीय, मुख्यालय, जयपुर में पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण (Duty Joining) करना होगा।

उक्त प्रावधानों के तहत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

- 1 आवेदक की कक्षा 10 की अंकतालिका के अनुसार जन्मतिथि 25.07.2000 अंकित है।
- 2 इन्हे परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची-4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसरण में रूपये 12400/- (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
- 3 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियम 17 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 1) वेतन नियतन किये जाने सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 4 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- 5 यदि अभ्यर्थी निश्चित अवधि 15 दिवस में भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- 6 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 7 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवम् 27.03.04 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
- 8 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
1. पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, 6. दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र, 7. दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल प्रतियां कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष रवं प्रस्तुत करें एवं इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां (एक सेट) पेश करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(पदमा रमा)
निदेशक


राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ1(ए)169/पार्ट-1/संस्था/बीमा/2021/6777-87
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 03-09-2021

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संस्थापन, जयपुर।
5. श्री आशुतोष महावर, पुत्र स्व. श्री शम्भू दयाल महावर, आर 39, कैलाशपुरी-II, मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपको उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 8 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा।
6. केंडर स्ट्रेंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
7. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर